"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल 2016— चैत्र 24, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-24/2016/वाक/पांच (51) . — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित माल के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन, दिनांक 01-04-2016 से 31-03-2017 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बंधनों तथा शर्तें, जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) में यथा विनिर्दिष्ट ब्लूम्स एवं स्लेब्स.	अंशत:, इस प्रकार कि जिससे छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 8 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाये.	जबकि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी को नीचे दिये गये प्ररूप 'क' में घोषणा पत्र के विरुद्ध तथा उक्त प्ररुप के अनुक्रमांक (2) में उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति करने पर, माल का विक्रय किया गया है.

प्रारूप-'क'

घोषणा-पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक........................ के अधीन)

1. मैं .... (व्यापारी का नाम), ... (पता), छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... का धारक व्यापारी, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं, कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार माल का क्रय .... (व्यापारी का नाम तथा पता), उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारक व्यापारी से किया है :

क्रय किए गए माल का विवरण

क्रय आदेश/बिल/इन्वाईस/कैश मेमो/ चालन * का विवरण		क्रय किये गये माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रु.)
क्रमांक (1)	दिनांक (2)	(3)	(4)	(5)
			योग -	

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... मात्र.

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि :-

(एक) क्रय किया गया माल स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) या (पांच) में विनिर्दिष्ट लोहा तथा स्टील या प्रवर्ग (छ:) में विनिर्दिष्ट हूप्स तथा स्ट्रीप्स या प्रवर्ग (तेरह) में विनिर्दिष्ट फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिये है;

(दो) मेरे द्वारा निर्मित माल का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जायेगा; और

(तीन) क्रय किया गया माल मेरे पंजीयन प्रमाण-पत्र में कच्चे माल के रूप में विनिर्दिष्ट है और माल के क्रय के दिनांक को प्रमाण-पत्र प्रभावशील था.

स्थान ....

दिनांक ....

व्यापारी के हस्ताक्षर एवं सील

* जो लागू न हो उसे काट दें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-10/24/2016/वाक/पांच (51). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/24/2016/वाक/पांच (51), दिनांक 13-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th April 2016

NOTIFICATION

No. F-10/24/2016/CT/V(51). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the following class of goods as specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to restrictions and conditions specified in column (4), for the period from 01-04-2016 to 31-03-2017, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Blooms and Slabs as specified in category (ii) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly, so as to reduce the rate of tax under Section 8 of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) to 2%.	When the goods are sold to a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) against a declaration in Form 'A' below and fulfills all the conditions mentioned in serial number (2) of the said Form.

FORM- 'A'

Declaration

(Under C. T. D. Notification No. ---------------------- Dated ------------------------------)

1. I, ------------------------ (Name of the dealer), ----------------------- (address), a dealer holding registration certificate No. ---------------------- under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), hereby, declare that I have purchased the goods, particulars of which have been given below, from ---------------------- (Name and address of the dealer), a dealer holding registration certificate No. ---------------------- under the said Act :

PARTICULARS OF THE GOODS PURCHASED

Particulars of purchase order/bill/invoice/cash memo/challan* No.	Date	Description of goods purchased	Quantity	Value Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Total-	

Total value (in figures) Rs. --------------------------------- (in words) Rs. --- only.

2. I, further declare that :-

(i) the goods being purchased are for use in my steel rolling mill as raw material in the manufacture of iron and steel specified in category (iv) or (v), or hoops and strips specified in category (vi), or fish plate bars and bearing plate bars specified in category (xiii), of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956);

(ii) the goods manufactured by me shall be sold in Chhattisgarh State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India; and

(iii) the purchased goods are specified as raw material in my registration certificate and the registration certificate was in force on the date of purchase of the goods.

Place -------------------------

Date --------------------------

....
Signature & seal of the dealer

*strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.